न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 05/2017

अपीलान्ट

1. सरकार जरिये तहसीलदार

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

मोतीसिंह पुत्र बदनसिंह के का0मु0

1. चांदकंवर पत्नी मोतीसिंह
2. मूलसिंह पुत्र मोतीसिंह
3. ब्रजेश कुमारी पुत्री मोतीसिंह
4. हंसाकुमारी पुत्री मोतीसिंह
5. अनुशक्ति पुत्री मोतीसिंह
6. आशा भाटी पुत्री मोतीसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण चाटेलाव तहसील रोहट हाल निवास जयनिवास, विठु आउस, रसाला रोड़, जोधपुर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 15 (2) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0

उपस्थित :-

सरकारी पैरोकार

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी श्री दलाराम वगैरा

-: आदेश :-

दिनांकः- 27/8/2019

प्रार्थी श्री दलाराम, जसाराम पुत्र थानाजी जातिगण पटेल निवासीगण चरवडा की ढाणी, रूपावास, वींजाराम पुत्र थानाराम, राणाराम पुत्र भेराराम, धनाराम पुत्र गलाराम जातिगण पटेल निवासीगण मालवा की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर प्रकरण हाजा के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील संख्या 5878/2001 मोतीलाल वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2014 की पालना कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में जाहिर किया कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण हाजा में पारित निर्णय दिनांक 11.06.1999 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 492 द्वारा खसरा नम्बर 333 व 331 की भूमि की खातेदारी समाप्त कर भूमि को सिवायक दर्ज कर दिया हैं। उक्त निर्णय के विरूद्ध एक अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

20.03.2014 को उक्त खसरा नम्बरान् के क्रेतागण के पक्ष में हुए हस्तान्तरण दिनांक 02.09.1968 को सद्भावी मानते हुए उक्त विक्रय को विधि मान्यता प्रदान की गई हैं तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.1999 को अपास्त करते हुए शेष हस्तान्तरणों के सम्बन्ध में नये सिरे से जांच कर एवं ग्राम चाटेलाव में स्थित भूमि द्वितीय ग्रुप की होने के कारण उसी अनुसार गणना कर नये सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2014 की पालना करवाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में वर्णित तथ्यों के अनुसार स्थिति यह प्रकट होती है कि प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 364/1971 सरकार बनाम मोतीसिंह में दिनांक 24.02.1972 को आदेश पारित करते हुए गैरसायल मोतीसिंह द्वारा धारित भूमि सीलिंग सीमा से कम मानते हुए प्रकरण खारिज कर दिया। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा जरिये आदेश क्रमांक एफ. 7(563)/राज./ग्रुप–4/76 दिनांक 17.12.1976 के जरिये प्रकरण रि–ओपन कर न्यायालय हाजा को विधिवत सुनवाई कर सीलिंग प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए। उक्त निर्देशों की पालना में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.06.1999 को प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए 697 बीघा 15 बिस्वा बारानी भूमि अधिग्रहण योग्य मानते हुए अधिग्रहण करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी मोतीसिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील दायर करवाई, जिसमें दिनांक 20.03.2014 को निर्णय पारित करते हुए हस्तान्तरण संख्या 3, जो खसरा नम्बर 333 रकबा 132 बीघा 3 बिस्वा के बाबत है, वह दिनांक 02.09.1968 का होने से उसे मान्यता प्रदान करते हुए शेष हस्तान्तरणों के सम्बन्ध में नये सिरे से जांच कर एवं ग्राम चाटेलाव में स्थित भूमि द्वितीय ग्रुप की होने के कारण उसी अनुसार गणना कर नये सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त खसरा नम्बर 333 रकबा 132 बीघा 3 बिस्वा भूमि का दिनांक 02.09.1968 को जरिये बक्शीश एवं विक्रय द्वारा तेजियाजी पुत्र बीसना राईका को हस्तान्तरण किया गया। उक्त हस्तान्तरण के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 40 के जरिये भूमि तेजियाजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। इसके पश्चात खातेदार तेजियाजी पुत्र बीसना राईका द्वारा दिनांक 16.03.1973 को राजाराम, सवाराम, दलाराम, जसाराम पि0 थानाजी जातिगण पटेल निवासीगण चरवड़ा की ढाणी, रूपावास, बींजाराम पुत्र थानाराम, राणाराम पुत्र भेराराम, नेमाराम पुत्र हबताजी, धनाराम पुत्र गलाराम जातिगण पटेल निवासीगण मालवा तहसील रोहट के पक्ष में बेचान किया, जिसके आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 60 के उक्त खरीददारान् का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.1999 के जरिये भूमि अधिग्रहण के आदेश की पालना में तहसीलदार रोहट द्वारा अन्य भूमियों के साथ–साथ खसरा नम्बर 333 की भूमि को भी जरिये नामान्तरकरण संख्या 492 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज किया गया। चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.1999 को अपास्त किया जा चुका है तथा सक्षम स्तर से खसरा नम्बर 333 रकबा 132 बीघा 3 बिस्वा से सम्बन्धित

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

हस्तान्तरण को मान्यता प्रदान की जा चुकी हैं, इस कारण उक्त खसरा नम्बर 333 की भूमि सीलिंग से प्रभावित नहीं मानी जा सकती हैं। तद्नुसार उक्त खसरा नम्बर 333 रकबा 132 बीघा 3 बिस्वा की भूमि पुनः खातेदार के नाम दर्ज की जानी न्यायोचित हैं।

परिणाम स्वरूप अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाता है तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा अपील/सीलिंग/5878/2001/पाली, मोतीलाल वगैरा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2014 की पालना में ग्राम चाटेलाव के खसरा नम्बर 333 रकबा 132 बीघा 3 बिस्वा की भूमि पुनः खातेदार अर्थात राजाराम, सवाराम, दलाराम, जसाराम पि0 थानाजी जातिगण पटेल निवासीगण चरवड़ा की ढाणी, रूपावास, बींजाराम पुत्र थानाराम, राणाराम पुत्र भेराराम, नेमाराम पुत्र हबताजी, धनाराम पुत्र गलाराम जातिगण पटेल निवासीगण मालवा तहसील रोहट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। तद्नुसार तहसीलदार रोहट को इस आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

आदेश आज दिनांक 27/8/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/9/19

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
११-१७-2021	पत्रावली पेश हुई। राज्य पक्ष की ओर विद्वान अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 27–08–2019 को प्रकरण अंतर्गत धारा 15(2) राजस्थान कृषि जातो पर अधिकतन सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है तथा पीठासीन अधिकारी के द्वारा राज्य हित की अनदेखी करके राज्य पक्ष के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया है। अतः पीठासीन अधिकारी के द्वारा बिना विविध परिक्षण करवायें प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है तथा जिसनें जिम्मेदारी पैरोकार की होती है तथा राज्य पक्ष को समुचित अवसर नही दिया गया है। इस संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली को जरिये पत्र निवेदन किया जाए कि तहसीलदार, रोहट को निर्देशित करे कि राज्य पक्ष के विरूद्ध दिया गया फैसला दिनांक 27–08–2019 का विविध परिक्षण करवा करके तथा सक्षम स्तर से अपील/नो अपील का निर्णय करावें। तत्पश्चात् आगे की विधिक कार्यवाही की जावें। तब तक के लिये पत्रावली नंबर से कम हों। अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग) पाली (राज.)	842 02-08-2021